107 द०प्र०स०

फाल बाधित कॉपी कर

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी.

मोहन राम प्रजापति व अन्य
बनाम
राजेन्द्र प्रजापति व अन्य

आदेश पत्रक

M-51/2018

7/4/18

अभिलेख संख्या :– एम. 51 / 2018, धारा :– 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :– 14/18

115
7/4

....

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :–

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मै .... अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी , उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध –पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :– 24/4/18 को उपस्थापित करें ।

07.4.2018

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

26/09/18 प्रथम पक्ष उपस्थित। दिनांक 13/10/18 को पेश।

13/10/18 प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता हाजरी दिये। अगली तारीख 22.10.18 को रखें।

— [signature] 13.10.18

22.10.18 प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। अगली तारीख 29.10.18 को रखें।

— [signature] 22.10.18

29/10/18 द्वितीय ~~प्रथम~~ पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। अगली तिथि 5.11.18 को रखें।

[signature] 29.10.18

5/11/18 द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा रुचि नहीं लेने एवं वाद के काल बाधित होने के कारण वाद को समाप्त किया जाता है।

— [signature] 05.11.18

3